

263.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद- मीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से 17.3875 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 113.6300 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। प्रभावित वन भूमि के बदले मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत दुगुने अवनत वन भूमि 131.0175 हे० $\times 2 = 262.035$ हे० या 263.00 हे० क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्न प्रकार अवनत वन भूमि चिन्हित है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 7-28/2014-ROHQ दिनांक 15.09.2014 के अनुसार परियोजना से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 संरक्षित कुल 131.0175 हे० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसके बदले $131.0175 \times 2 = 262.035$ अथवा 263.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्न प्रकार अवनत वन भूमि चिन्हित है।

- 1-मड़िहान रेंज अन्तर्गत दाढीराम बीट के क०न० 1 अ में 20.00 हे०,
- 2-मड़िहान रेंज अन्तर्गत सरसो बीट के सरसो क०न० 3 में 20.00हे०।
- 3-डूमण्डगंज रेंज अन्तर्गत बंजारी पूर्वी बीट के बंजारी क०न०-9 में 55.00हे०।
- 4-लालगंज रेंज अन्तर्गत विजयपुर बीट के विजयपुर क०न०-03 दादर कलां में 40.00 हे०,
- 5-लालगंज रेंज अन्तर्गत करनपुर बीट अन्तर्गत करनपुर क०न०-4 में 20.00 हे०।
- 6-पटेहरा रेंज अन्तर्गत इमली पोखर बीट में इमली पोखर क०न० 1 हर्दी कलां में 75.00हे०
- 7-विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत पड़री-।। बीट मच्छरमारा क०न०-3 में 20.00 हे०।
- 8-विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत दांती-।।। बीट अन्तर्गत दांती क०न०-6 में 20.00 हे०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, केसिया सेमिया, महुआ, कठसागौन, सागौन, आंवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन के पौधों का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मड़िहान रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
विद्यमान है

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डूमण्डगंज रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालगंज रेंज
पटेहरा रेंज, मीरजापुर
क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटेहरा रेंज, मीरजापुर
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर उप वन प्रभाग
मीरजापुर

91.03 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद— मीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से 17.3875 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 113.6300 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। प्रभावित वन भूमि के बदले मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत दुगुने अवनत वन भूमि $131.0175 \text{ हे०} \times 2 = 262.035 \text{ हे०}$ या 263.00 हे० क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निम्न प्रकार अवनत वन भूमि चिन्हित की गयी थी किन्तु पटेहरा रेंज के इमली पोखर बीट में इमली पोखर क०न० 1 हर्दी कलां में 75.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योग्य न पाये जाने के कारण उक्त के स्थान पर लालगंज रेंज जैकर, डांगरखेरी क०न०-1 में 50.92 हे० तथा विजयपुर क०न०-3 क्षेत्रफल 40.11 हे० क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित हैं

- 1- लालगंज रेंज जैकर, डांगरखेरी क०न०-1 में 50.92 हे०।
- 2- लालगंज रेंज विजयपुर क०न०-3 क्षेत्रफल 40.11 हे०।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, केसिया सेमिया, महुआ, कठसागौन, सागौन, आँवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन के पौधों का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालगंज रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

6.113 हे० लालगंज से हलिया मार्ग के दोने पटरी की भूमि पर ट्रांसलोकेशन वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद- मीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौडीकरण से 17.3875 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 113.6300 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें अवस्थित 17329 वृक्षों/पौधों में से मुख्य वन संरक्षक महोदय मीरजापुर के निर्देशानुसार 377 इमली प्रजाती के वृक्ष एवं निर्देशक एन०बी०आर०आई० लखनऊ के सुझाव अनुरूप 850 विविध प्रजाति के वृक्षों को ट्रांसलोकेशन किये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतएव कुल 1227 वृक्षों का ट्रांसलोकेशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रेंज लालगंज के अन्तर्गत लालगंज से हलिया मार्ग के दोनो पटरी पर 6.113 हे० क्षेत्र में रोपित किये जाने हेतु चिन्हित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 1227 वृक्षों का ट्रांसलोकेशन किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा प्रत्यारोपण हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालगंज रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर